रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082020-221185
CG-DL-E-18082020-221185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2020/श्रावण 26, 1942
No. 199] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2020/SRAVANA 26, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

(अंतिम जांच परिणाम)

मामला सं. एडीडी-एसएसआर 14/2019

विषय : चीन जन.गण. तथा हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " वूवन फैब्रिक्स (जिनमें फ्लैक्स की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक हो)" जिसे सामान्य रूप में "फ्लैक्स फैब्रिक" के रूप में भी जाना जाता है, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा ।

फा. सं. 7/26/2019-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि :

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. 14/8/2008-डीजीएडी के माध्यम से चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों से संबंधित मूल जांच की शुरूआत की थी । प्राधिकारी ने दिनांक 17 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 14/8/2008-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक

जांच परिणाम अधिसूचित किए जिनमें अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर,2009 की अधिसूचना सं. 14/8/2008-डीजीएडी द्वारा जारी की गई थी जिसमें चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी । राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 21 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 142/2009-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा निश्यात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. प्राधिकारी ने दिनांक 10 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. 15/30/2013-डीजीएडी द्वारा प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की और जांच संचालित की थी । तत्पश्चात प्राधिकारी ने दिनांक 9 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 15/30/2013-डीजीएडी द्वारा चीन जन.गण. और हांगकांग से फ्लैक्स फैब्रिक्स के आयातों पर निश्यात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । यह शुल्क दिनांक 12 अगस्त, 2015 की अधिसूचना सं. 39/2015-सीमाशुल्क द्वारा लगाया गया था । दूसरी निर्णायक समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम के अनुपालन में लागू पाटनरोधी शुल्क 11 अगस्त, 2020 तक लागू है । tks सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 23/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 11/8/2020 के माध्यम से 11/11/2020 तक बढ़ाया गया है।

3. यत: मै. ग्रेसिम इडस्ट्रीज लिमिटेड- जय श्री टेक्सटाइल्स (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. और हांगकांग (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **"**वूवन फैब्रिक्स (जिनमें फ्लैक्स की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक हो**)"** जिसे सामान्य रूप में **"**फ्लैक्स फैब्रिक**"** के रूप में भी जाना जाता है**, (**जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है**)** के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध किया गया है ।

4. और यत: आवेदक द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के मद्देनजर प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार दिनांक 23 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 7/26/2019-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा की शुरूआत की थी ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

5. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

i. प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 23 दिसंबर, 2019 को भारत में संबद्ध देशों के दूतावास, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादक/निर्यातक, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत अधिसूचना की प्रति भेजी थी । ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रदान करने और विहित समयसीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था ।

ii. निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देशों के दूतावासों को भी भेजी गई थी और उनसे संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था ।

iii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावास को उपलब्ध कराई गई थी ।

iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एसएसआर की शुरूआत करने वाली सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी और पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया था ।

क. यांगजिन युआनडोंग टेक्सटाइल कं., चीन जन.गण.

ख. चांगशू टोंगहे ग्रुप कं. लि.

ग. हुआन हुआशेंग इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कं. लि.

घ. मेंगयिन कॉटन टेक्सटाइल कं. लि.

ड. सुझोऊ जेनलोंग टेक्सटाइल कं. लि.

च. हरबिन चाओलेंग टेक्सटाइल कं. लि.

छ. वूजिन हुआनयू फ्लैक्स टेक्सटाइल कं. लि.

ज. जियांगशू फेनजा फ्लैक्स टेक्सटाइल मिल कं. लि.

झ. एचके जिसुआन इंट. इंडस्ट्री लिमिटेड

ञ. सुझोऊ नया ग्रुप

ट. बिनफेंजहुआंग फैब्रिक्स कं. लि.

ठ. क्विहार झोंगटेन टेक्सटाइल कं. लि.

ड. हुआफेंग रेमिक टेक्सटाइल कं. लि.

ढ. चांगशू लाइफेंग लिनेन एंड कॉटर वियरिंग कं. लि.

ण. हुआन गोल्डनटेक्स कं. लि.

त. वूजियांग होंगली टेक्सटाइल कं. लि.

थ. झूचेंग डिलियुआन टेक्सटाइल कं. लि.

द. यूएक्विन रिलायबल इलैक्ट्रिक कं. लि.

ध. शाओशिंग इन हैंड टेक्सटाइल कं. लि.

न. शाओशिंग गुक्को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.

प. हेनिंग यूटैक्स कं. लि.

फ. क्विंगडाओ यूझोऊ निट एंड टेक्सटाइल कं. लि.

ब. वूजियांग माइशोंडा सिल्क टेक्सटाइल कं. लि

v. किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और न ही उन्होंने कोई अन्य अनुरोध किया है ।

vi पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी :

क. के. मोहन टेक्सटाइल्स, बंगलौर, कर्नाटक

ख. प्रतीक अपैरल्स प्रा. लि. , कर्नाटक

ग. अम्बात्तूर क्लोदिंग कं. लि., तमिलनाडु

घ. आदित्य बिड़ला नूवो लि., कर्नाटक

ड. शाही एक्सपोर्ट प्रा. लि., फरीदाबाद

च. रिचा एंड कं., नई दिल्ली

छ. लीला स्कोटिस, चेन्नई तमिलनाडु

ज. कलरप्लस फेशन्स प्रा. लि., तमिलनाडु

झ. मलबरी सिल्क लिमिटेड, कर्नाटक

ञ. इंडियन टेनेद क्लोदिंग प्रा. लि., तमिलनाडु

ट. ओरिएंट क्लोदिंग कं. प्रा. लि., हरियाणा

ठ. मोहन क्लोदिंग कं. (प्रा.) लि., हरियाणा

ड. अनीश इडिया एक्सपोर्ट हरियाणा

ढ. गोकलदास इमेज्स, कर्नाटक

ण. प्रसाम एक्सपोर्टस, महाराष्ट्र

त. रेमेंड्स लिमिटेड (टेक्सटाइल डिविजन), मुंबई

थ. चोपडा एसोसिएट्स, मुंबई

vii. जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में किसी भी आयातक या प्रयोक्ता ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दिया है और न ही कोई अन्य अनुरोध किया है।

viii. ऐसे निर्यातक विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकार जिन्होंने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संगत सूचना प्रदान की है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

ix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

x. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा था। जब भी उन्होंने सार्वजनिक फाइल या उसमें से दस्तावेजों की प्रतियों हेतु अनुरोध किया, उन्हें वह प्रदान की गई थी।

xi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना और आंकड़ों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।

xii. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रेल, 2018 से जून, 2019 (15 महीने) की है। तथापि, क्षति संबंधी जांच अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016, अप्रैल-2018 से मार्च, 2017 और अप्रैल 2017- से मार्च, 2018 तथा पीओआई की अवधियों में की गई थी।

xiii. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था और उक्त सूचना डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त हुई थी तथा उसे वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अपनाया गया है।

xiv. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को एक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया था। पहली मौखिक सुनवाई 28-5-2020 को हुई थी और इसके बाद दूसरी मौखिक सुनवाई निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलने के कारण 9 जुलाई, 2020 को हुई थी। तीन आवेदकों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया जिनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

xvi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से मना किया है या अन्यथा वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन को दर्ज किया है।

xvii. प्रकटन विवरण 27.7.2020 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया और प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए 29.7.2020 तक का समय दिया गया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों पर समुचित रूप से विचार किया है।

xviii. *** चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xix. प्राधिकारी ने पीओआई के दौरान प्रचलित औसत विनिमय दर को 1 अमरीकी डॉलर = 70.73 रूपए के रूप में अपनाया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल का अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक है जिसमें फ्लैक्स की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक है। इसे सामान्यत: सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

ii. "फ्लैक्स" और "लिनेन" समानार्थी हैं और फ्लैक्स शब्द को लिनेन के रूप में भी जाना जात है और इसका प्रयोग फ्लैक्स फाइबर से यार्न और फैब्रिक बनाने में किया जा सकता है। इसका प्राय: जेनरिक रूप में वूवन बैड, बाथ टब, टेबल और किचन वस्त्र के वर्णन के लिए किया जाता है क्योंकि पारंपरिक रूप से फ्लैक्स, टावल शीट आदि के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होता है।

iii. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पूर्व में हुई जांच में यथापरिभाषित के समान रहेगा।

iv. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विगत अवधि में कोई खास विकास नहीं हुआ है।

v. विचाराधीन उत्पाद को फ्लैक्स नाम सेल्यूलोसिक प्लांट में बनाया जाता है जिसे वस्तुत: फ्रांस और बेल्जियम जैसे उत्तर यूरोपीय देशों में उगाया जाता है। इन फाइबर को तत्पश्चात वैट स्पिनिंग प्रक्रिया के जरिए लिनेन यार्न में बदला जाता है जो किसी अन्य स्पिनिंग प्रक्रिया के लिए अद्वितीय है। इस लिनेन यार्न को बुनाई के लिए यथाअपेक्षित ग्रे या रंगे हुए रूप में प्रयोग किया जाता है। बुनाई के बाद इसका प्रसंस्करण और तैयारी की जाती है तथा बाजार में बेचा जाता है।

vi घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. मूल जांच, पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्स फैब्रिक है। पूर्ववर्ती जांच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :

विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल का अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक है, जिसे सामान्यत: सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। "फ्लैक्स" और "लिनेन" समानार्थी हैं और फ्लैक्स शब्द को लिनेन के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रयोग जेनरिक रूप में बूवन बैड, बाथ टब, टेबल और किचन वस्त्र के वर्णन के लिए किया जाता है क्योंकि पारंपरिक रूप से फ्लैक्स, टावल शीट आदि के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अध्याय 53 के अंतर्गत उपशीर्ष 53.09 में वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतक है और जांच के दायरे में बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित किया जा रहा बूवन फैब्रिक (जिसमें फ्लैक्स की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक है) समान वस्तुएं हैं और नियमावली के अर्थ के भीतर विचाराधीन उत्पाद हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रेड वार उत्पादन विवरण के अनुसार घरेलू उद्योग ने 30-50 प्रतिशत फ्लैक्स मात्रा वाले फैब्रिक् का उत्पादन किया है। यह कुल उत्पादन का 0.62 प्रतिशत है। चूंकि घरेलू उद्योग 50 प्रतिशत तक की फ्लैक्स मात्रा वाले फैब्रिक का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहा है, इसलिए प्राधिकारी ने 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैक्स मात्रा वाले उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के निष्कर्ष के रूप में माना है।

9. प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद का आयात करने वाले उपभोक्ताओं ने इसे घरेलू उद्योग से भी खरीदा है। इसके मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उतपादित विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना गया था।

10. किसी भी आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। उपर्युक्त के मद्देनजर और जांच तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहेगा।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

11. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

क. वर्तमान आवेदन मै. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड – जय श्री टैक्सटाइल द्वारा दायर किया गया है। यह आवेदन विचाराधीन उत्पाद के 25 उत्पादकों द्वारा समर्थित है। आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित हैं। आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। विचाराधीन उत्पाद के अनेक उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया है अत: यह आवेदन नियमावली के अधीन स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है और आवेदक "घरेलू उद्योग" है।

ख. आवेदक विचाराधीन उत्पाद के एक आयातक आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड से संबंधित है। तथापि, वे आयात लागू एडीडी के भुगतान के बाद और चीन के फैब्रिक के परीक्षण हेतु किए गए थे। आयातक द्वारा किया गया विचाराधीन उत्पाद का आयात नगण्य मात्रा में है।

ग. आवेदक ने घरेलू उद्योग के विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक उत्पादन, समर्थकों के 50 प्रतिशत (50%) उत्पादन और अन्य भारतीय उत्पादकों के 50 प्रतिशत (50%) उत्पादन के आधार पर स्थिति निर्धारित की है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैक्स मात्रा वाला फ्लैक्स फैब्रिक है । फ्लैक्स फैब्रिक में लगभग 100 प्रतिशत से कम से कम 30 प्रतिशत के बीच फ्लैक्स यार्न की मात्रा हो सकती है जैसा मूल जांच में नोट किया गया था। इसके अलावा, देश में इस उत्पाद का उत्पादन असंगठित एम एस एम ई क्षेत्र सहित काफी बिखरा हुआ है। देश में कोई बुनकर फ्लैक्स सहित विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स बुन सकता है। अनेक ऐसे उत्पादक हैं, जो अन्यथा सूती वस्त्र का उत्पादन करते है और कुछ मात्रा में फ्लैक्स फैब्रिक का भी उत्पादन करते हैा। आवेदक ने अनुरोध किया है कि देश में उत्पाद के सकल घरेलू उत्पादन के संबंध में कोई प्रकाशित आंकड़े नहीं हैं, फ्लैक्स फैब्रिक का उत्पादन असंगठित क्षेत्र में किया जा रहा है और इसलिए उत्पादन का आकलन कच्ची सामग्री की खपत के आधार पर और खपत की प्रवृति तथा पूर्ववर्ती दो जांचों के संदर्भ में करना अपेक्षित है। इस मुद्दे पर मूल जांच परिणाम और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में भी विचार किया गया था। फ्लैक्स यार्न के मामले में अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम और वर्तमान उत्पाद में अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम स्पष्टत: सिद्ध करते हैं कि देश में फ्लैक्स यार्न के अधिकांश उत्पादन की खपत 50 प्रतिशत से कम फ्लैक्स फैब्रिक के उत्पादन में होती है। प्राधिकारी ने 2013-14 में फ्लैक्स फैब्रिक के उत्पादन को 202 लाख एस क्यू एम पाया है जबकि 2014-15 में फ्लैक्स यार्न की खपत 15698 एम टी पायी गई थी (फ्लैक्स यार्न से संबंधित अंतिम जांच परिणाम में) फ्लैक्स फैब्रिक यार्न के लिए खपत कारक पर विचार करते हुए यह देखा गया है कि 2013-14 में यार्न की खपत केवल 5000 एम टी के आस-पास रही थी। यह भी देखा गया है कि खपत की प्रवृति में कोई खास उछाल नहीं आया है।

15. इस मुद्दे पर मूल जांच और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में भी विस्तार से विचार किया गया था । चूंकि फ्लैक्स फैब्रिक का उत्पादन असंगठित क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए उसके उत्पादन के संबंध में कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना नहीं है। अत: पीयूसी के उत्पादन का आकलन कच्ची सामग्री की खपत और पूर्ववर्ती दो जांचों में अपनाई गई खपत की प्रवृति के संदर्भ में करना सर्वोत्तम हो सकता है। यह नोट किया जा सकता है कि उत्पाद के उत्पादन का वर्तमान मामले में और पूर्ववर्ती जांच में फ्लैक्स यार्न की खपत के आधार पर आकलन किया गया है। यद्यपि, पूर्ववर्ती जांचों के समय देश में फ्लैक्स यार्न का केवल एकमात्र उत्पादक था, तथापि, अब 7 कंपनियों द्वारा फ्लैक्स यार्न उत्पादित किया जा रहा है। इसके अलावा, देश में फ्लैक्स यार्न का आयात भी हो रहा है, जैसा पिछली जांचों में भी पाया गया था, फैब्रिक के कुछ उत्पादक एस ई जैड या ई ओ यू में हैं। एस ई जैड द्वारा आयात को सकल भारतीय उत्पादन ज्ञात करने हेतु शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने भारतीय बाजार में खपत के लिए उनके द्वारा बेचे गए फ्लैक्स यार्न के संबंध में सूचना दी है। अत: फ्लैक्स यर्न की खपत फ्लैक्स यार्न उत्पादकों द्वारा की गई बिक्री के आधार पर निर्धारित की गई है। भारत में किए गए आयातों को इन बिक्रियों में जोड़ा गया है। ऐसी स्थिति में जबकि उत्पादन बिखरा हुआ और एमएसएमई क्षेत्र में है, प्राधिकारी ने अन्य जांचों तथा पहले कच्ची सामग्री खपत के आधार पर सकल भारतीय

उत्पादन निर्धारित किया है । वर्तमान मामले में सभी अलग-अलग कंपनियों के उत्पादन को एकत्रित करना व्यवहार्य नहीं है । देश में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो इतनी सूक्ष्म सूचना को एकत्रित करती हो । अत: ऐसी स्थितियों में भारतीय उत्पादन की मात्रा ज्ञात करना कच्ची सामग्री की खपत अथवा तैयार डाउन स्ट्रीम उत्पाद की खपत पर विचार करते हुए आकलित करना सर्वाधिक उपयुक्त है । वर्तमान जैसे उत्पाद में उत्पादन की मात्रा कच्ची सामग्री की खपत के आधार पर वैज्ञानिक रूप से ज्ञात की जा सकती है । यह नीति पूर्ववर्ती प्रक्रिया से भी संगत है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बिखरे हुए उद्योग के मामले में डी आई के दायरे की चुनौतियों को एडी जांचों में वैश्विक रूप से भली भांति मान्यता दी गई है ।

16. देश में फ्लैक्स यार्न की खपत पर विचार करते हुए, जय श्री द्वारा खपत को बाहर रखने के बाद और शेष खपत के 50 प्रतिशत को संबंधित उत्पाद की खपत मानते हुए पीयूसी का सकल भारतीय उत्पादन 269.16 लाख एसक्यूएम पाया गया है जबकि आवेदक का उत्पादन *** लाख एसक्यूएम था । अत: केवल आवेदक का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का 25-35 प्रतिशत था ।

17. इसके अलावा, अनेक अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा आवेदक का समर्थन किया गया है जिनमें बी.के. टेक्सटाइल, बालेश्वर सिनफैब एलएलपी, बालेश्वर सिंथेटिक टेक्सटाइल्स प्रा. लि., भावना फैब्रिक्स, बॉम्बे रेयन फैशन लिमिटेड, सी एंड आर टैक्सटाइल्स प्रा. लि., दर्शन क्रिएशन प्रा. लि., जगदम्बा फैब्रिक्स, जगदम्बा टैक्सटाइल्स प्रा. लि., केशरी इंडस्ट्रीज लि., कोटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ली वीविंग, मधुसूदन वीवर्स, नार्थ ब्रदर्स एग्जिम इंटरनेशनल लि., राघव एटंरप्राइजेज, रेमंड्स लग्जरी कॉटन्स लिमिटेड, आर एस एल डायकोट प्रा. लि., श्री कृष्णा सिल्क, सिल्वरलाइन फैशन फैब्रिक्स लि., स्वस्ति विनायक सिंथेटिक्स लि., टॉपमेंन इंटरनेशनल लि., वरनी वैलवीव, विराट फैशन वीविंग ट्रेन्ड्स, ब्रिजेश नेचुरल फाइबर्स एंड फैब्रिक्स (इंडिया) प्रा. लि.,। तथापि, वरनी वैलवीव, मधुसूदन वीव्स, दर्शन क्रिएशन प्रा. लि., सिल्वरलाइन फैशन फैब्रिक्स लि. तथा बालेश्वर सिनफैब एलएलपी को छोड़कर समर्थकों के उत्पादन सहित आवेदक का उत्पादन 50 प्रतिशत से काफी अधिक है ।

18. आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के निर्यातकों से संबंधित नहीं हैं, न ही उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है । आवेदक ने बताया है कि वे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड एबीएफआर जिन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है, से संबंधित हैं । यह आयात कुल आयात के 0.5 प्रतिशत से कम है और कुल मांग या कुल भारतीय उत्पादन के 0.1 प्रतिशत से कम है । किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने नियमवली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग होने की आवेदक की पात्रता के विरूद्ध कोई तर्क नहीं दिया है । इस तथ्य के होते हुए भी कि नियम 23 के लिए नियम 5 आवश्यक संशोधनों के साथ लागू नहीं है, प्राधिकारी ऊपर वर्णित नीति को अपनाते हुए अपने स्वयं द्वारा याचिकाकर्ता की स्थिति और पात्रता की एतदद्वारा पुष्टि करते हैं । समर्थकों के साथ आवेदक याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से काफी अधिक है ।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ड.1 सामान्य मूल्य

19. धारा 9क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री औश्र सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

क. किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अत: नियम 6(8) के अनुसार निर्यातकों को असहयोगी माना जाना चाहिए और प्राधिकारी को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

ख. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है और यह बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाए कि अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं ताकि चीन की कीमतें और लागतें जांचाधीन उत्पाद के लिए प्रयोग की जा सकें। इसके अलावा, आवेदक ने ऐसे साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं जो यह सिद्ध करने में संगत हैं कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान वस्तु के उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं।

ग. आवेदक ने दावा किया है कि यदि ऊपर उल्लिखित दृष्टिकोण नियमावली के पैरा 1-6 के प्रावधानों के अनुसार लागू नहीं है तो भी चीन की घरेलू लागतें और कीमतें तब तक स्वीकृत नहीं हो सकती हैं, जब तक कि चीन के निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था की जांच में उत्तीर्ण न हो जाएं। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मान्यता के मद्देनजर और चीन के प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार लगाया गया है।

घ. उपर्युक्त के मद्देनजर आवेदक ने घरेलू उद्योग की लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों सहित विधिवत रूप से समायोजित करके भारत में लागत के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

ड. आवेदक ने दावा किया है कि फ्रांस को प्रतिनिधि देश माना जाना चाहिए और फ्रांस से यूरोपीय संघ के अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर विधिवत समायोजनों के पश्चात सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

च. आवेदक ने हांगकांग में सामान्य मूल्य का दावा हांगकांग की खपत कीमत के आधार पर किया है जिसे आवश्यक समायोजनों के पश्चात हांगकांग में उत्पाद की आयात कीमत के अनुसार निर्धारित किया गया है।

छ. निर्यात कीमत को निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और समुद्री बीमा तथा चीन के मामले में वैट अंतर के लिए समायोजित किया गया है।

ज. परिलित पाटन मार्जिन न केवल अत्यधिक है, बल्कि काफी अधिक है।

ड.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ड.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

<u>चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा</u>

22. *डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेससन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है: " जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :*

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

23. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15 (क)(ii) में दिए गए प्रतिबंध 11.12.2016 को समाप्त हो चुके हैं । तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15 (क)(ii) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में भारतीय नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के जरिए पूरा किया जाना अपेक्षित है । चूंकि चीन जन.गण. से किसी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार निर्धारित किया गया है ।

ड.5 चीन जन.गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

24. नियमावली के अनुबंध-। के पैरा-7 में निम्नानुसार उपबंध है:

''गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तिव रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । ''

25. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में यथाप्रदत्त अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में "किसी अन्य तर्कसंगत आधार" संबंधी पद्धति पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित करना प्रस्तावित है । अत: प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, समान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ को जोड़कर विधिवत रूप से समायोजित कर इसके आधार पर परिकलित किया है । प्राधिकारी द्वारा पी ओ आई के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है :-

ड.6 हांग कांग में सामान्य मूल्य

26. चूंकि हांकांग से किसी उत्पादक ने विहित ढंग और पद्धति से प्रश्नावली का न तो उत्तर दिया है और न ही संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है । इसलिए, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस देश में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं । तद्नुसार, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर आधारित उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर हांगकांग में सामान्य मूल्य परिकलित किया है । हांगकांग के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है :

ड.7 निर्यात कीमत का निर्धारण

27. चूंकि संबद्ध देशों में किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है इसलिए प्राधिकारी ने सीआईएफ कीमत के निर्धारण हेतु डीजीसीआईएंड एस के आयात आंकड़ों को अपनाया है । निर्यात कीमत को भारत में भारित औसत आयात कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

28. चीन जन.गण. और हांगकांग से निर्यातकों के असहयोग के मद्देनजर आवेदक द्वारा किए गए दावों के आधार पर कीमत समायोजन किए गए हैं । निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और चीन के मामले में वैट अंतर के लिए समायोजनों पर विचार करने के बाद कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित किया गया है ।

ड.8 संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण

29. यथोक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है । यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है । इस प्रकार, उत्पाद का पाटन वर्तमान अवधि में जारी है ।

विवरण	इकाई	चीन	हांगकांग
सामान्य मूल्य का आधार		परिकलित	परिकलित
सामान्य मूल्य	(अम.डॉ./एमटीआर)	***	***
निर्यात कीमत	(अम.डॉ./एमटीआर)	***	***
पाटन मार्जिन	(अम.डॉ./एमटीआर)	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज	80-100	20-40

च. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

30. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

31. नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,18,19 और 20 के प्रावधान किसी समीक्षा के मामले में आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होंगे । यदि घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन दर्शाता है कि उसे वर्तमान क्षति अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृति होने की संभावना है ।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु आवेदन मै. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज (जय श्री टैक्सटाइल्स) द्वारा दायर किया गया है और पूर्व संगत पैरा में यथा वर्णित अनेक समर्थकों द्वारा समर्थित है । नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदक को इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग माना गया है । अत: इस निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवेदक की लागत और क्षति संबंधी सूचना की जांच की गई है ।

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

33. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं :

i. उत्पाद से संबंधित सभी पूर्ववर्ती जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक रहा है ।

ii. पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में भारी आयात शुल्क हटाए जाने की दशा में आयात में वृद्धि की संभावना दर्शाता है ।

iii. संबद्ध देशों से आयातों के कारण भारी कीमत कटौती हो रही है जो दर्शाता है कि शुल्क हटाए जाने की स्थिति में कीमत कटौती और अधिक होगी ।

iv. संबद्ध देशों ने विदेशी उत्पादकों के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमताएं काफी अधिक हैं । वर्तमान शुल्क को हटाने से संबद्ध देशों से पाटन पुन: शुरू हो जाएगा । इससे अंतत: घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।

v. चीन में विचाराधीन उत्पाद के लिए इतनी भारी क्षमताएं मौजूद हैं, जो चीन में मांग से काफी अधिक हैं।

vi संबद्ध देशों में अधिकांश उत्पादक उनके अपने घरेलू बाजारों में बेचने के बजाए विचारधीन उत्पाद का निर्यात करते हैं। इससे संबद्ध देशों में विनिर्माताओं का निर्यातोन्मुख होना स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है।

vii. चूंकि निर्यातकों के पास काफी अधिक अतिरिक्त क्षमताएं हैं, इसलिए निर्यातकों को भारतीय बाजार आकर्षक लगेगा। भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उपभोक्ता कीमतों पर सर्वाधिक विचार करके अपनी खरीद का निर्णय लेते हैं। वर्तमान एडीडी के हटने पर घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत घटानी होगी अन्यथा संबद्ध देशों से कम कीमत के आयातों की उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

viii. वे कीमतें जिन पर संबद्ध वस्तुओं का आयात हो रहा है, घरेलू बाजार में वस्तु की बिक्री कीमत से काफी कम हैं। चीन के निर्यातक न केवल भारत में पाटन कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों में भी पाटन कर रहे हैं। तीसरे देश में पाटन की प्रासंगिकता यह है कि उससे निर्यातकों के कीमत व्यवहार का पता चलता है। इससे पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातक विभिन्न देशों में संबद्ध वस्तु की बिक्री हेतु अनुचित कीमत निर्धारण को अपनाते हैं जो बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को नष्ट कर देता है।

ix. संभावना के मामले में यदि एक या दो मापदंड पूरे होते हैं तो शुल्क को जारी रखा जा सकता है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं :-

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव, एवं (ख)ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच का प्रावधान है। जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहां तक कि पाटित आयातों के कीमत प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे उत्पादों के प्रभाव से कीमत में काफी अधिक मात्रा में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली इस वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक स्तर तक बढ़ गई होती।

36. वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में यह उपबंध है कि नियम 11 के प्रावधान किसी समीक्षा के मामले में भी आवश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे। अत: प्राधिकारी ने अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों पर आवश्यक संशोधनों सहित विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति निर्धारित की है। अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

37. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"(iv)संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

38. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों तथा कीमत और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति और पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी की जांच की जा सके । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है ।

39. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट दर्शायी जाए । कुछ मापदंडों में गिरावट हो सकती है जबकि कुछ में नहीं । प्राधिकारी क्षति संबंधी सभी मापदंडों पर विचार करते हैं और तत्पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तथ्यों और किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की निम्नानुसार जांच की है :

छ. मांग का आकलन

40. संबद्ध वसतु की घरेलू खपत/मांग के आकलन के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में कुल आयातों में जोड़ा गया है और उनका सारांश निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्री	000 एमटीआर	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*89*	*92*	*90*	*90*
सहयोगियों की बिक्री+ अन्य भारतीय उत्पादक	000 एमटीआर	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*87*	*82*	*111*	*111*
आयात – संबद्ध देश	000 एमटीआर	5,224	4,555	4,855	7,021	5,617
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*87*	*93*	*108*	*108*
चीन (संबद्ध देश)	000 एमटीआर	5,088	4,466	4,781	6,421	5,137
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*88*	*94*	*101*	*101*
हांगकांग (संबद्ध देश)	000 एमटीआर	136	88	74	600	480
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*65*	*55*	*353*	*353*
आयतक - अन्य देश	000 एमटीआर	177	223	259	421	337
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*126*	*146*	*190*	*190*
कुल मांग	000 एमटीआर	30,020	26,245	26,116	39,660	31,728
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*87*	*87*	*106*	*106*

41. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की माग में 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में गिरावट आई है परंतु 2015-16 और पीओआई में समान स्तर पर बहाल हो गई है।

ज. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

42. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है । तथापि, वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लागू है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयातों की मात्रा का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
आयात मूल्य						
आयात - संबद्ध देश	000 एमटीआर	5,224	4,555	4,855	7,021	5,617
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*87*	*93*	*108*	*108*
चीन (संबद्ध देश)	000 एमटीआर	5,088	4,466	4,781	6,421	5,137
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*88*	*94*	*101*	*101*
हांगकांग (संबद्ध देश)	000 एमटीआर	136	88	74	600	480
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*65*	*55*	*353*	*353*
अन्य देश	000 एमटीआर	177	223	259	421	337
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*126*	*146*	*190*	*190*
कुल आयात	000 एमटीआर	5,401	4,778	5,115	7,442	5,953
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*88*	*95*	*110*	*110*
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देशों से आयात						
कुल आयात	%	96.73	95.33	94.93	94.35	94.35
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*99*	*98*	*98*	*98*
कुल भारतीय उत्पादन	000 एमटीआर	25,972	22,972	21,552	33,645	26,916
भारतीय उत्पादन	%	20.12	19.83	22.53	20.87	20.87
भारतीय उत्पादन	*सूचीबद्ध*	*100*	*99*	*112*	*104*	*104*
कुल भारतीय मांग	000 एमटीआर	30,020	26,245	26,116	39,660	31,728
भारतीय खपत	%	17.40	17.35	18.59	17.70	17.70
भारतीय उत्पादन	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*107*	*102*	*102*

43. यह देखा गया है कि:

i. वर्ष 2016-17 में संबद्ध देशों से आयात में गिरावट आई है परंतु उसके बाद 2017-18 में और उसके बाद पीओआई में इसमें वृद्धि हुई है। आवेदकों ने उल्लेख किया है कि जांच अवधि के बाद की अवधि के दौरान आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ii. जांच की अवधि में भारत में कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा काफी अधिक है। संबद्ध देशों से आयात, भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 94% है।

iii. क्षति की अवधि में भारतीय उत्पादन तथा माँग की तुलना में संबद्ध देशों से आयात बढ़ा है।

झ. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

44. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संदर्भ में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में उल्लेखनीय रूप से कटौती की गई है, अथवा ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय स्तर तक कम करने अथवा सामान्य रूप से अन्यथा कीमतों में होने वाली वृद्धि को काफी हद तक रोकने के रूप में हुआ है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर हुए प्रभाव की कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमतों को दबाने और कीमतों में गिरावट लाने, यदि कोई हो, के संदर्भ में जाँच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

45. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने निम्नानुसार आयातों की पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत से की है। आयातों की पहुँच कीमत, घरेलू कीमतें और कीमत कटौती का अंतर नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:

चीन जन.गण.

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी.	***	***	***	***	***
पहुँच कीमत	₹/मी.	280.96	267.94	236.73	277.81	277.81
कीमत कटौती	₹/मी.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	श्रेणी	40-60	40-60	60-80	40-60	40-60

हाँग काँग

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/ मी.	***	***	***	***	***
पहुँच कीमत	₹/ मी.	314.80	318.19	290.99	364.10	364.10
कीमत कटौती	₹/ मी.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	श्रेणी	20-40	20-40	40-60	20-40	20-40

औसत

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/ मी.	***	***	***	***	***
पहुँच कीमत	₹/ मी.	281.84	268.92	237.56	285.18	285.18
कीमत कटौती	₹/ मी.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	श्रेणी	40-60	40-60	60-80	40-60	40-60

46. यह देखा गया है कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम रही है, जो कीमतों में बढ़ती हुई कटौती को दर्शाता है।

ख. <u>कीमत ह्रास एवं न्यूनीकरण</u>

47. यह निर्धारित करने के लिए क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को एक उल्लेखनीय हद तक दबाना अथवा अन्यथा कीमत में होने वाली वृद्धि को रोकना है, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि, जब एडीडी लागू था, में आयातों की पहुँच कीमत, और घरेलू उद्योग की लागतों तथा कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री लागत	₹/ मी.	***	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	*100*	*119*	*124*	*122*	*122*
बिक्री कीमत	₹/ मी.	***	***	***	***	***
रुझान	सूचीबद्ध	*100*	*100*	*102*	*107*	*107*
पहुँच कीमत	₹/ मी.	281.84	268.92	237.56	285.18	285.18
रुझान	सूचीबद्ध	*100*	*95*	*84*	*101*	*101*

48. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत तथा बिक्री कीमत और आयातों की पहुँच कीमत में वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुँच कीमत उत्पादन की लागत से कम थी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास रहे हैं।

ग. <u>कम कीमत पर बिक्री</u>

49. संबद्ध आयातों की क्षतिरहित कीमत की तुलना पहुँच कीमत से करके कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन किया गया है।

विवरण	**यूओएम**	**चीन**	**हाँग काँग**
क्षतिरहित कीमत	अमेरिकी $/ मी.	***	***
पहुँच कीमत	अमेरिकी $/ मी.	3.93	5.15
क्षति अंतर	अमेरिकी $/ मी.	***	***
क्षति अंतर	%	***	***
क्षति अंतर	श्रेणी	60-80	20-40

50. पहुँच कीमत और क्षतिरहित कीमत की तुलना से यह नोट किया गया है कि कम कीमत पर बिक्री न केवल अधिक है बल्कि यह उल्लेखनीय भी है।

ञ. <u>घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव</u>

51. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की निष्पक्ष जाँच होगी। पाटनरोधी नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में बिक्री, लाभों, परिणाम, बाजार की हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों, पाटन के अंतर की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटकों; नकद प्रवाह, सूचियों, रोजगार, पारिश्रमिक, वृद्धि,

पूंजी निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक घटकों और सूचकांकों का एक वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

(क) <u>उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री</u>

52. उत्पादन, क्षमता, क्षमता के उपयोग और बिक्री के संदर्भ में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

विवरण	**इकाई**	2015-16	2016-17	2017-18	**पीओआई**	
					वास्तविक	**वार्षिकीकृत**
क्षमता	000 मी.	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
उत्पादन	000 मी.	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*84*	*90*	*90*
क्षमता उपयोग	% (श्रेणी)	80-100	80-100	60-80	80-100	80-100
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*92*	*84*	*90*	*90*
घरेलू बिक्री	000 मी.	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*89*	*92*	*90*	*90*

53. यह देखा गया है कि-

क. जांच की अवधि सहित क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा संस्थापित क्षमता एक समान रही है।

ख. उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2016-17 में गिरावट आई और बाद में 2017-18 में भी गिरावट आई परंतु जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। तथापि आधार वर्ष से तुलना करने पर जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में और आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

ख. <u>माँग में बाजार की हिस्सेदारी</u>

54. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभावों की नीचे दिए गए अनुसार जाँच की गई है-

विवरण	**इकाई**	2015-16	2016-17	2017-18	**पीओआई**	
					वास्तविक	**वार्षिकीकृत**
घरेलू उद्योग	% (श्रेणी)	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*101*	*106*	*86*	*86*
अन्य भारतीय उत्पादक	% (श्रेणी)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*99*	*95*	*105*	*105*
संबद्ध देश	%	17.40	17.35	18.59	17.70	17.70
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*107*	*102*	*102*
अन्य देश	%	0.59	0.85	0.99	1.06	1.06
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*144*	*168*	*180*	*180*

55. यह नोट किया गया है कि वर्ष 2017-18 तक घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है परंतु जांच की अवधि के दौरान इसमें थोड़ी गिरावट आई है। संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी जांच की पूरी अवधि के दौरान बढ़ी है।

ग. <u>मालसूचियाँ</u>

56. संबद्ध वस्तुओं की सूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं-

विवरण	**इकाई**	2015-16	2016-17	2017-18	**पीओआई**	
					वास्तविक	**वार्षिकीकृत**
औसत स्टॉक	000 मी.	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	136	141	133	133

57. यह देखा गया है कि पीओआई में सूची में पिछले वर्ष अर्थात 2017-18 की तुलना में थोड़ी गिरावट आई है परंतु क्षति अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में सूची के स्तर में वृद्धि हुई है।

घ. <u>लाभ या हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय</u>

58. घरेलू उद्योग के लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय निम्नानुसार हैं:

विवरण	**इकाई**	2015-16	2016-17	2017-18	**पीओआई**	
					वास्तविक	**वार्षिकीकृत**
बिक्री लागत	₹/ मी.	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*119*	*124*	*122*	*122*
बिक्री कीमत	₹/ मी.	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*102*	*107*	*107*
प्रति इकाई लाभ	₹/ मी.	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*(30)*	*(58)*	*(4)*	*(4)*
कुल लाभ /(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*(26)*	*(54)*	*(4)*	*(4)*
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*1*	*(20)*	*18*	*18*
ब्याज से पूर्व लाभ	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*1*	*(28)*	*15*	*15*
निवेश की गई पूंजी पर प्रतिफल	% (श्रेणी)	20-40	0-20	(0-20)	0-20	0-20
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*1*	*(21)*	*10*	*10*

क. वर्ष 2015-16 में प्रति इकाई लाभ सकारात्मक था और उसके बाद क्षति की पूरी अवधि में पीओआई सहित क्षति की अवधि के दौरान इसमें गिरावट हुई है और यह नकारात्मक बन गया। पाटनरोधी शुल्क होने के बावजूद घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ख. नकद प्रवाह, पीबीआईटी और निवेश पर आय का रुझान भी लाभों के रुझान जैसा ही रहा। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान निवेश पर नकारात्मक आय का सामना किया।

ग. घरेलू उद्योग का मानना है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट जांच की पूरी अवधि में जारी रही। लाभों, नकद लाभों और निवेश पर आय में रुझानों को नोट करते हुए प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल और नकारात्मक पीबीआईटी के साथ वित्तीय क्षति का सामना कर रहा है।

(ङ.) <u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>

59. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संदर्भ में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार थी-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
पारिश्रमिक	₹ लाख	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*156*	*148*	*149*	*149*
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*98*	*98*	*100*	*100*
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी./संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*94*	*86*	*90*	*90*

60. यह नोट किया गया है कि पीओआई में रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। तथापि घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव दर्शाने के लिए संगत नहीं हैं।

(च) <u>वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि</u>

61.

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	वार्षिकीकृत पीओआई
उत्पादन एमटी	%	-	(7.97)	(8.27)	6.04
घरेलू बिक्री एमटी	%	-	(11.35)	3.91	(1.84)
क्षमता उपयोग	%	-	(7.13)	(6.82)	4.56
औसत सूची एमटी	%	-	35.59	4.19	(5.68)
लाभ/हानि ₹ लाख	%	-	(126.38)	102.92	(92.75)
नकद लाभ ₹ लाख	%	-	(98.99)	(2,093.10)	(188.01)
पीबीआईटी ₹ लाख	%	-	(99.14)	(3,314.40)	(153.75)
निवेश की गई पूंजी पर आय	%	-	(33.25)	(7.33)	10.51

62. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन लाभों, नकद लाभों, पीबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल के संदर्भ में नकारात्मक है।

<u>पाटन का अंतर</u>

63. यह पाया गया है कि संबद्ध देशों से पाटन का अंतर सकारात्मक है। प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन किया जा रहा है।

छ. <u>कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक</u>

64. आयात कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही हैं। यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत न केवल इसकी निवल बिक्री कीमत से कम है बल्कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से भी कम है, जिससे भारतीय बाजार में उल्लेखनीय रूप से कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री हो रही है। इसके अतिरिक्त संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रही हैं जिससे जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है और वित्तीय क्षति हुआ है। इस प्रकार प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

ज. <u>पूंजीगत निवेश बढ़ाने की क्षमता</u>

65. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग वित्तीय क्षति झेल रहा है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के समक्ष प्रतिस्पर्धा के साथ उद्योग के प्रचालन प्रभावित हुए हैं जिसने उद्योग की पूंजीगत निवेश बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित किया है। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसलिए पूंजीगत निवेश बढ़ाने की क्षमता केवल उत्पाद के प्रदर्शन के आधार पर प्रबंधित नहीं होती।

ट. <u>क्षति का स्तर और क्षति का मार्जिन</u>

66. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है और कम कीमत पर बिक्री की सीमा का निर्धारण करने के लिए संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत के साथ इसकी तुलना की गई है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी नियमों के अनुलग्नक III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों का प्रयोग करके निर्धारित की गई है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम थी।

ठ. <u>क्षति का समग्र आकलन</u>

67. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि-

i. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा निरपेक्ष रूप से और कुल आयात, भारतीय उत्पादन तथा उपभोग के अनुपात में बढ़ी है।

ii. संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है।

iii. संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हुआ है।

iv. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

v. लाभ, नकद लाभ और निवेश की गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में तेजी से गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय क्षति हुआ है।

vi. संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आयात का प्रवेश जारी रहा है।

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उद्योग को लगातार बड़ा क्षति हुआ है।

ड. <u>क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना</u>

68. एक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि क्या भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का प्रवेश जारी है या क्या इसकी संभावना है और यदि शुल्क हटाया जाता है तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ड.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा</u>

69. घरेलू उद्योग ने पाटन या क्षति के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संदर्भ में निम्नानुसार अपना दृष्टिकोण रखा-

i. उत्पाद के संबंध में पूर्व के सभी जांचों में निर्धारित पाटन अंतर सकारात्मक रहा है।

ii. पाटनरोधी शुल्क की उपस्थिति में उल्लेखनीय मात्रा में आयात शुल्क समाप्ति की स्थिति में आयात बढ़ने की संभावना दर्शाता है।

iii. संबद्ध देशों से आयात के कारण कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है जो दर्शाता है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में कीमतों में और अधिक कटौती होगी।

iv. संबद्ध देशों में विदेशी उत्पादकों द्वारा धारित अधिक उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय है। वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने से संबद्ध देशों से पाटन फिर से शुरू हो जाएगा जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।

v. विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन में चीन की माँग से कहीं अधिक क्षमता मौजूद है।

vi. संबद्ध देशों में अधिकतर उत्पादक विचाराधीन उत्पाद को उनके संबंधित घरेलू बाज़ारों में बेचने के बजाय निर्यात करते हैं। यह स्पष्ट रूप से संबद्ध देशों में निर्माताओं के निर्यात की ओट झुकाव को दर्शाता है।

vii. चूंकि निर्यातकों के पास उल्लेखनीय मात्रा में अधिक क्षमताएँ हैं, इसलिए निर्यातकों को भारतीय बाजार आकर्षक नजर आएगा। भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। यहाँ उपभोक्ता कीमत को सबसे अधिक महत्व देते हुए खरीद का निर्णय करते हैं। वर्तमान एडीडी को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को बिक्री कीमत कम करनी होगी अन्यथा संबद्ध देशों से कम कीमत के आयातों की उपलब्धता घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

viii. जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुएँ आयात की जा रही हैं वे उस कीमत से बहुत कम हैं जिस कीमत पर घरेलू बाजार में ये वस्तुएँ बेची जा रही हैं।

ix. चीन के निर्यातक न केवल भारत में पाटन कर रहे हैं बल्कि वे अन्य देशों में भी पाटन कर रहे हैं। तृतीय देश में पाटन की संबद्धता यह है कि यह निर्यातकों के मूल्यन व्यवहार को बाहर लाती है। यह दर्शाता है कि संबद्ध देश के निर्यातक विभिन्न देशों में संबद्ध वस्तुएँ बेचने के लिए अनुचित मूल्यन अपनाते हैं, जो बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करता है।

x. ऐसी संभावना होने पर यदि एक या दो मापदंड भी पूरे होते हैं तो शुल्क को जारी रखा जा सकता है।

ड. 2. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

70. क्षति के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संदर्भ में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई विचार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

ड3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

71. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों की धारा 9ए(5), नियम 23 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं और इन नियमों के अनुलग्नक-II (vii) की शर्तों के अनुसार बड़े क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य संगत घटकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

क) <u>सतत एवं मौजूदा पाटन तथा क्षति</u>

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि लगातार पाटित आयात किए जा रहे हैं, इसलिए प्राधिकारी को यह जांच करनी है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहने की संभावना है। संबद्ध देशों के निर्यातक और उत्पादक पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। पिछले अन्वेषणों में भी पाटन अंतर उल्लेखनीय था। यह भी देखा गया है कि ये आयात घरेलू उद्योग कीमतों में कटौती कर रहे हैं और ये घरेलू उद्योग की एनआईपी से कम कीमत पर हैं। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन के जारी रहने की संभावना है।

ख. <u>उपायों की अनुपस्थिति में कीमतों में कटौती</u>

73. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान कीमत में कटौती सकारात्मक है, और इस प्रकार वर्तमान में मौजूद एडीडी को समाप्त किए जाने से पाटन में वृद्धि होने की संभावना है जिससे घटी हुई बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट के रूप में क्षति होगी ।

74. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि चीन जन.गण. और हाँग काँग द्वारा जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुएँ भारत को निर्यात की जा रही हैं वह उस कीमत की संभावना का सूचक भी है जिस कीमत पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध देशों से वस्तुओं को निर्यात किए जाने की संभावना है। इस प्रकार भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा आयात में वृद्धि की मजबूत संभावना है।

ग. <u>अधिक क्षमताएँ</u>

75. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन के उत्पादकों के पास अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध क्षमता है, जिसे पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में भारत की ओर मोड़ा जा सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना निम्नानुसार विभिन्न निर्यातकों की क्षमताएँ दर्शाती है:

विवरण	क्षमता (एमटी)
चांकशु लाइफेंक लिनन एंड कॉटन वीविंग कंपनी	2000,000 मीटर/वर्ष
हाइनींक यूटेक्स कंपनी लिमिटेड	500000 मीटर/माह
वुईयांग तांकचाओ टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	10,00,000 मीटर/वर्ष
ओइंकडाओ यूजहाऊ निट एंड टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	40,000 मीटर/वर्ष
वुईयांग माइशुंदा सिल्क टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	2000,000 मीटर/वर्ष
हुनान हुआशेंक इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कंपनी	12,000 टन/वर्ष

चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उपर्युक्त का खंडन नहीं किया है। निर्यातकों के भी भारतीय बाजार में उनके उत्पादन को चैनलीकृत किए जाने के लिए प्रोत्साहित होने की संभावना है चूंकि उनके पास अधिक क्षमता है और वे अपने उत्पाद तुलनात्मक रूप से कम कीमतों पर बेच रहे हैं।

76. चीनी उत्पादकों ने असहयोग जताया है, इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि चीनी उत्पादकों के पास उल्लेखनीय क्षमता है। इस बात की संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटित तथा नुकसानदायक कीमत पर आयात में तेजी आएगी जिससे घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

घरेलू उद्योग को प्रभावित कर सकने वाले अन्य मानदंडों के संदर्भ में प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं और निम्नानुसार अपने विचार रखते हैं;

क. जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की माँग थोड़ी कम हुई है।

ख. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। तथापि यहाँ निर्यात प्रदर्शन संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के लिए केवल घरेलू उद्योग के घरेलू प्रदर्शन पर विचार करने का प्रस्ताव किया था।

ग. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ है। इसलिए प्रौद्योगिकी में संभावित विकास घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारण प्रतीत नहीं होता है।

घ. आवेदक द्वारा उत्पादित किए जा रहे तथा बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं है। किसी भी स्थिति में आवेदक का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना वर्तमान प्रयोजन के लिए एकमात्र संगत सूचना है और आवेदक ने घरेलू उद्योग के रूप में सूचना उपलब्ध कराई है।

ङ. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधक प्रथा नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

च. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की पद्धति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत की पद्धति में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को ऐसा कोई क्षति नहीं हुई है जिसका दावा किया गया हो। वास्तव में संगत अवधि में संबद्ध वस्तु की माँग में वृद्धि हुई है।

ढ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

77. घरेलू उद्योग के अलावा किसी हितबद्ध पक्षकार ने टिप्पणियां नहीं दी हैं। घरेलू उद्योग की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

1. फ्लैक्स फैब्रिक का उत्पाद विभिन्न संयोजनों (30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत फ्लैक्स मात्रा) में होता है और उत्पादन बिखरा हुआ तथा असंगठित एमएसएमई क्षेत्र में है। छोटे बुनकर जो सूती वस्त्र जैसे विभिन्न वस्त्रों का उत्पादन करते हैं, भी फ्लैक्स फैब्रिक की कम मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं।

2. फ्लैक्स फैब्रिक के उत्पादन के संबंध में न तो सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध है, न ही किसी एजेंसी या अन्यथा के माध्यम से वर्तमान मामले में अलग-अलग कंपनियों के उत्पादन को एकत्र करना संभव है।

3. इसी प्रकार के मामलों में जहां उत्पादन व्यापक और एम एस एम ई क्षेत्र में होता है, प्राधिकारी ने पूर्व में अनेक मामलों में कच्ची सामग्री की खपत के आधार पर सफल भारतीय उत्पादन निर्धारित किया है।

4. वर्तमान जैसे उत्पाद में उत्पादन की मात्रा कच्ची सामग्री की खपत के आधार पर वैज्ञानिक रूप से बताई जा सकती है। इस प्रक्रिया को पिछली दो जांचों में भी अपनाया गया है।

5. प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में भारतीय उत्पादन को सही ढंग से निर्धारित किया गया है।

6. याचिकाकर्ताओं ने ऐसी कंपनियों संबंधी सूचना दी है, जो अधिकांशत: 50 प्रतिशत कम फ्लैक्स मात्रा वाले फ्लैक्स फैब्रिक का उत्पादन करते हैं और ए डी डी का समय बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं।

7. पूर्व में प्राधिकारी ने कुल भारतीय उत्पादन में 35 प्रतिशत से कम मात्रा वाली कंपनियों को भी घरेलू उद्योग के रूप में माना है।

8. सेस्टेट ने लुबरीजोल (इंडिया) प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माना था कि कुल घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा यदि 31 प्रतिशत से अधिक है तो उसे निसंदेह पर्याप्त या महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात बड़ा हिस्सा माना जाएगा।

9. फ्लैक्स फैब्रिक्स के लिए चीन में वैट की दर 17 प्रतिशत है और निर्यातित उत्पादों पर प्रदत्त वैट पर चीन की सरकार द्वारा 13 प्रतिशत का रिफंड दिया जाता है। अत: 4 प्रतिशत के गैर-वापिस वैट के समायोजन को निर्यात कीमत में किया गया है।

10. जैसा प्रकटन विवरण में नोट किया गया है, वर्तमान अवधि में पाटन जारी है। वास्तव में संबद्ध देशों में से प्रत्येक के लिए पाटन मार्जिन पूर्ववर्ती जांच परिणाम की तुलना में बढ़ गया है।

11. डी आई पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण वर्ष 2015-16 तक अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा था। तथापि, पीयूसी के तीव्र पाटन के कारण तत्पश्चात घरेलू उद्योग की क्षति में वृद्धि होकर पुनरावृति हुई है। इस बात को प्रकटन विवरण में भी नोट किया गया है।

12. प्रकटन विवरण के अनुसार पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना सिद्ध हुई है।

13. घरेलू उद्योग तीव्र पाटन, क्षति और वर्तमान जांच में पाटन और परिणामी क्षति की संभावना को देखते हुए शुल्क की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध करता है।

14. घरेलू उद्योग एडीडी की राशि को बढ़ाकर लागू करने का और अनेक व्यवहारिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं के कारण पाटनरोधी शुल्क की स्थिर राशि को लगाने का अनुरोध करता है।

15. प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार शुल्क को अमरीकी डॉलर ($) के अनुसार लागू करना चाहिए। रूपए में अत्यधिक गिरावट आई है और इसलिए निश्चयात्मक शुल्क को अमरीकी डॉलर में व्यक्त किया जाए। भारतीय रूपए में गिरावट से कच्ची सामग्री, सुविधाओं की लागतों तथा अन्य लागतों पर प्रभाव पड़ा है।

ण. प्राधिकारी द्वारा जांच

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उत्पादक/निर्यातक या आयातक ने भागीदारी नहीं की है। घरेलू उद्योग ने वर्तमान एसएसआर में पाटन में वृद्धि के कारण एडी शुल्क की राशि में वृद्धि का अनुरोध किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों का मूल्यांकन जांच में अपनाई गई पी ओ आई के लिए किया गया है। अत: प्राधिकारी कम ड्यूटी नियम (एल डी आर) सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पीओआई अवधि के लिए मूल्यांकित मार्जिन के आधार पर राशि की सिफारिश करते हैं। प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क के रूप के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट करते हैं और डॉलर के रूप में शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश करते हैं जैसाकि पूर्ववर्ती जांच परिणाम में किया गया था।

त. निष्कर्ष

79. जांच में किए गए अनुरोधों, प्रकटन पश्चात टिप्पणियों और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखतें हुए प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

क. संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु की कीमत उसके सामान्य मूल्य से कम है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।

ख. आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

ग. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।

घ. यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है तो कटौती जारी रह सकती है क्योंकि संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों के पास भारी क्षमताएं हैं और आयात जो एडी उपायों की मौजूदगी के बावजूद पाटित और क्षतिकारी हैं, उनमें पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर वृद्धि होने की संभावना है। अत: घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में गिरावट आने की संभावना है।

ड. इस प्रकार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना समाप्त करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक एडीडी को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

थ. सिफारिशें

80. यथोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी उपाय को नीचे शुल्क तालिका में विनिर्दिष्ट रूप में बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

81. कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तद्नुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम सं. 8 में इंगित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	फ्लैक्स और लिनेन फैब्रिक (नीचे टिप्पणी देखें)	चीन जन.गण.	कोई	कोई	कोई	2.36	प्रति मीटर	अम.डॉ.
2	5309	फ्लैक्स और लिनेन फैब्रिक (नीचे टिप्पणी देखें)	हांगकांग से इतर कोई देश और देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	चीन जन.गण.	कोई	कोई	2.36	प्रति मीटर	अम.डॉ.
3	5309	फ्लैक्स और लिनेन फैब्रिक (नीचे टिप्पणी देखें)	हांगकांग	कोई	कोई	कोई	1.14	प्रति मीटर	अम.डॉ.
4	5309	फ्लैक्स और लिनेन फैब्रिक (नीचे टिप्पणी देखें)	चीन से इतर कोई देश और देश जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	हांगकांग	कोई	कोई	1.14	प्रति मीटर	अम.डॉ.

टिप्पणी : विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "फ्लैक्स या लिनेन फैब्रिक है जिसमें फ्लैक्स की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक है"

82. इन जांच परिणामों से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2020

(Final Findings)

Case No. ADD-SSR 14/2019

Subject : Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of "Woven Fabric (having more than 50% Flax content)" commonly known as "Flax Fabric" originating in or exported from China PR & Hong Kong.

F. No. 7/26/2019-DGTR.—BACKGROUND OF THE CASE

1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules') thereof; the Designated Authority (hereinafter also referred as "Authority") had initiated the original investigation concerning imports of Flax Fabric originating in or exported from China PR and Hong Kong vide Notification No.14/8/2008-DGAD dated 3rd October 2008. The Authority vide Notification No.14/8/2008--DGAD dated 17th February 2009 notified the Preliminary Findings recommending provisional anti-dumping duties. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. No.14/08/2008--DGAD dated 1st October 2009, recommending imposition of definitive duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Hong Kong. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 142/2009-Customs (ADD) 21st December 2009.

2. The Authority initiated 1st sunset review investigation vide Notification No.15/30/2013- DGAD dated 10th March, 2014 and conducted the investigation. The Authority thereafter recommended the

definitive anti-dumping duties vide Notification No.15/30/2013-DGAD dated 9th June 2015 on imports of Flax Fabric from China PR and Hong Kong. The same was imposed vide Notification No. 39/2015-Customs/ dated 12th August, 2015. The anti-dumping duty imposed, pursuant to the Final Findings in the second sunset review, in force till 11th August, 2020 has been extended till 11/11/2020 through Customs Notification No. 23/2020-Customs (ADD) dated 11/8/2020.

3. Whereas M/s Grasim Industries Limited-Jaya Shree Textiles (hereinafter referred to as the "Applicant") has filed an application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the " Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), for Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of "Woven Fabric (having more than 50% Flax content)" commonly known as "Flax Fabric" (hereinafter referred as the "subject goods" or "product under consideration"), originating in or exported from China PR & Hong Kong (hereinafter referred to as the "subject countries")..

4. And whereas, in view of the duly substantiated application, filed by the Applicant, the Authority in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, initiated the sunset review investigation vide Notification No. 7/26/2019-DGTR dated 23rd December, 2019 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from subject countries, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

   i. The Authority sent copy of the initiation notification dated 23rd December, 2019 to the Embassy of the subject countries in India, known producer and exporters from the subject countries, known importers and other interested parties, as per available information. The known interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their views known in writing within the prescribed time-limit.

   ii. Copy of letter and questionnaire sent to the exporters were also sent to Embassy of the subject countries along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject countries to respond within the prescribed time.

   iii. Copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant was made available to the known producers/exporters of the subject countries and the Embassy of the subject countries in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.

   iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the SSR to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) and 6(4) of the Rules

      a. Yangxin Yuandong Textile Co., China PR
      b. Changshu Tonghe Group Co. Ltd
      c. Hunan Huasheng Industrial & Trading Co. Ltd.
      d. Mengyin Cotton Textile Co. Ltd
      e. Suzhou Zhenlong Textile Co. Ltd
      f. Harbin Chaolong Flax Co. Ltd.
      g. Wujin Huanyu Textiles Co. Ltd.
      h. Jiangsu Fanjia Flax Textile Mill Co.,
      i. HK Zishun Int'l Industry Limited
      j. Suzhou Nanya Group

k. Binfenzhuang Fabric Co. Ltd.

l. Qiqihar Zhongtian Textile Co. Ltd

m. Huafang Ramie Textile Co. Ltd

n. Changshu Lifeng Linen & Cotton Weaving Co. Ltd.

o. Hunan Goldentex Co Ltd.

p. Wujiang Hongii Textile Co. Ltd

q. Zhucheng Deliyuan Textile Co. Ltd

r. Yueqing Reliable Electric Co Ltd.

s. Shaoxing In Hand Textile Co. Ltd

t. Shaoxing Gucco Import and Export Co. Ltd

u. Haining Yutex Co. Ltd

v. Qingdao Yuzhou Knit and Textile Co. Ltd

w. Wujiang Maishunda Silk Textile Co Ltd.

v. None of the exporters filed the response to exporter's questionnaires, nor have they filed any other submissions.

vi. Questionnaire was sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules:

a. K. Mohan Textiles, Bangalore, Karnataka

b. Prateek Apparels Pvt Ltd., Karnataka

c. Ambattur Clothing Co. Ltd, Tamil Nadu

d. Aditya Birla Nuvo Ltd, Karnataka

e. Shahi Exports, Pvt. Ltd, Faridabad

f. Richa & Co., New Delhi

g. Leela Scottish, Chennai, Tamil Nadu

h. Colourplus Fashions Pvt. Ltd., Tamil Nadu

i. Mulberry Silk Limited, Karnataka

j. Indian Terrian Clothing Pvt. Ltd, Tamil Nadu

k. Orient Clothing Co. P. Ltd, Haryana

l. Mohan Clothing Co (P) Ltd., Haryana

m. Anish India Export, Haryana

n. Gokaldas Images, Karnataka

o. Prasam Exports, Maharashtra

p. Raymond Ltd. (Textile division), Mumbai

q. Chopda Associates, Mumbai

vii. None of the importers or users have filed the response to questionnaires, nor have they filed any other submissions, in response to the Initiation notification.

viii. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.

ix. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as

confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Whenever they requested inspection of public file and copies of the documents therefrom were provided with the same.

xi. Verification of the information and data submitted by the domestic industry was carried out to the extent deemed necessary.

xii. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2018 to June 2019 (15 Months). However, injury examination was conducted for the periods April 2015 to March 2016, April 2016 to March 2017 and April 2017 to March 2018 and POI.

xiii. The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) were requested to provide details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, and the said information was obtained from the DGCI&S and has been adopted for the purpose of present investigation.

xiv. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xv. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing. The first oral hearing was held on 28.5.2020 and thereafter a 2nd oral hearing was held on 09th July, 2020 due to change of DA. Only Applicants attended the oral hearing, who was requested to file written submissions of the views expressed orally.

xvi. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the disclosure on the basis of available facts.

xvii. A Disclosure Statement was issued on 27.7.2020 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 29.7.2020 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.

xviii. '***' in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

xix. The average exchange rate of 1US$ = Rs. 70.73 prevailing during the POI has been adopted by the Authority.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of the Domestic Industry

6. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:

i. The product under consideration is Flax Fabric having Flax content more than 50% originating in or exported from China PR and Hong Kong. It is normally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act

ii. "Flax" and "Linen" are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used to produce yarn and fabric made from flax fibres. It is often used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels sheets etc.

iii. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation.

iv. No significant development has taken place over the period with regard to product under consideration.

v. Product under consideration is made from cellulosic plant called flax, grown in Northern European countries mainly in France and Belgium. These fibers are then converted to linen yarn through wet spinning process, which is unique to any other spinning process. This linen yarn is used as grey or dyed as required for weaving. After weaving it is processed and finished and sold in the market.

vi. The product produced by the domestic industry is like article to the product imported from subject countries.

C.2 Views of the other interested parties

7. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to the product under consideration and like article.

C.3 Examination by the Authority

8. The product under consideration in the original investigation, previous sunset review, as well as in the present sunset review is Flax Fabric. In the previous investigation, the product under consideration was defined as under:

"The product under consideration is flax fabric originating in or exported from China PR and Hong Kong is normally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act. "Flax" and "Linen" are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets etc. This product is classified under Customs Tariff Chapter 53 at subheading 53.09. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Woven fabric (having more than 50% flax contents) produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles and is the Product under Consideration within the meaning of the rules.

The Authority notes that as per the grade-wise production statement, the domestic industry has produced fabric having flax content of 30-50%. This is 0.62% of the total production. As the domestic industry is not making substantial production of fabric having flax content of up to 50%, the Authority has therefore concluded the product under consideration to have flax content of more than 50%"

9. The Authority found that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The consumers importing the product under consideration have also purchased the same from the domestic industry. In view of the same, the product under consideration produced by the domestic industry were treated as like article to the product under consideration imported from subject countries.

10. None of the importers, exporters and other interested parties have advanced any argument with regard to the scope of the product under consideration and like article. In view of the above the investigation conducted and information on record, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

D. <u>SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING</u>

D.1 <u>Views of the Domestic Industry</u>

11. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:

a. The present application has been filed by M/s Grasim Industries Limited – Jaya Shree Textiles. The application is supported by the 25 producers of the product under consideration. The applicant has not imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporters or producers in the subject countries. The applicant

constitutes a major proportion of the Indian production. A number of producers of the product under consideration are supporting the application. Therefore, the Applicant satisfies the standing requirement under Rules and the applicant constitutes "Domestic Industry".

b. The applicant is related to Aditya Birla Fashion and Retail Ltd., an importer of the product under consideration. However, the imports were made after payment of applicable ADD and to test the Chinese fabric. The imports of the product under consideration made by the importer are in negligible volumes.

c. The applicant has determined standing based on actual production of product under consideration of domestic industry, fifty per cent (50%) of production of supporters and fifty per cent (50%) of the production of other Indian producers.

D.2 Views of the other interested parties

12. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to the product under consideration and like article.

D.3 Examination by the Authority

13. Rule 2 (b) of the Rules defines domestic industry as under:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".*

14. The Authority notes that the product under consideration in present case is Flax Fabric having Flax content more than 50%. Flax fabric may contain flax yarn content ranging from almost 100% to as low as 30% was noted in the original investigations. Further, its production of the product in the country is quite dispersed including in unorganized MSME sector. A weaver in the Country can weave different kind of fabrics, including flax. A number of producers who are otherwise producing cotton fabric also produce low volume of flax fabric. The applicant submitted that there are no published data with regard to gross domestic production of the product in the Country, production of flax fabric being in unorganized sector and therefore the production is required to be assessed on the basis of raw material consumption and referencing the consumption pattern and earlier two investigations. The issue was considered in the original findings and previous sunset review investigations as well. Final findings notified in the matter of flax yarn and final findings notified in the present product clearly establish that majority production of flax yarn in the country is consumed in production of flax fabric below 50%. The Authority found production of flax fabric in 2013-14 as 202 lac SQM, whereas consumption of flax yarn in 2014-15 was found as 15,698 MT (in the final findings relating to flax yarn). Considering consumption factor for flax fabric yarn, it is seen that the yarn consumption in 2013-14 was only in the region of 5,000 MT. It is also seen that there is no significant jump in the pattern of consumption.

15. The issue was considered in detail in the original finding and also previous sunset review investigation. Production of flax fabric being in unorganized sector, there is no publicly available information with regard to its production. Therefore, the production of PUC can best be assessed on the basis of raw material consumption and referring to the consumption pattern adopted in the earlier two investigations. It is noted that production of the product has been assessed in the present case and in the previous investigations on the basis of consumption of flax yarn. While there was only one producer of flax yarn in the country at the time of previous investigations, flax yarn is now being produced by seven companies. Further, flax yarn is also being imported in the Country. As was also found in the previous investigations, some of the producers of fabric are in SEZ or EOU. Imports by SEZ have not been included to arrive at gross Indian production. The petitioner has provided information with regard to flax yarn sold by them for consumption in the Indian market. Consumption of flax yarn has therefore been determined on the basis of sales made by flax yarn

producers. Imports made into India has been added to these sales. In a situation where production is wide spread and is in MSME sector, the Authority has determined gross Indian production on the basis of raw material consumption in other investigations as well in the past It is not feasible to cumulate production of all individual companies in the present case. Nor there is any agency in the Country who has collated such precise information. Therefore, it is most appropriate to quantify Indian production in such situations either by considering raw material consumption or by considering finished downstream product consumption. In a product like present, the production can be scientifically quantified on the basis of raw material consumption. The approach is consistent with the past practice as well. The Authority also notes that challenges of scope of DI in case of fragmented industry are well recognized globally in AD investigations.

16. Considering the consumption of flax yarn in the Country, after excluding consumption by Jayashree and considering 50% of the remaining consumption as consumption for the product concerned, the gross Indian production of PUC is found to be 269.16 lac sqm, whereas the production of the applicant was *** lac sqm. The production of applicant alone therefore was 25-35% of gross domestic production.

17. Further, the application has been supported by a large number of other domestic producers, including B K Textiles, Baleshwar Synfab LLP, Baleshwar Synthetic Textiles Pvt. Ltd., Bhavna Fabrics, Bombay Rayon Fashion Limited, C & R Textiles Pvt. Ltd., Dharshan Creation Pvt. Ltd., Jagdamba Farbics, Jagdamba Textiles Pvt. Ltd., Keshari Industries Ltd., Kottex Industries Pvt. Ltd., Lee Weaving, Madhusudan Weaves, Nath Brothers Exim International Ltd. Raghav Enterprises, Raymond Luxury Cottons Limited, RSL Dyecot Pvt.Ltd., Shree Krishna Silk, Silverline Fashion Fabrics Ltd., Swasti Vinayaka Synthetics Ltd., Topman International Ltd., Varni Wellweave, Viraat Fashion weaving trends, Vrijesh Natural Fibre & Fabric (India) Pvt. Ltd. However, barring Varni Wellweave, Madhusudan Weaves, Dharshan Creation Pvt. Ltd. Silverline Fashion Fabrics Ltd and Baleshwar Synfab LLP. Production of the applicant including production of the supporters is well above 50 %.

18. The Applicants have certified that they are not related to exporters of the subject goods in the subject countries, nor have they imported subject goods from subject countries. The applicant has stated that it is related to Aditya Birla Fashion & Retail Limited (ABFR), which imported subject goods from subject countries which is less than 0.5 % of total imports and less than 0.1% of total demand or total Indian production. None of the interested parties have raised any argument against eligibility of the applicant to constitute Domestic Industry within the meaning of the rules. Notwithstanding the fact that Rule 5 is not mutatis mutandis applicable for Rule 23, the Authority adopting the above stated approach hereby confirms the standing and eligibility of the petitioner on its won. The production of the applicant petitioner along with the supporters is well above 50% of the total Indian production.

E. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1 NORMAL VALUE

19. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

a. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*

b. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-*

   a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

   b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

E.2 Submissions by the domestic industry

20. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

a. None of the exporters have responded to the questionnaire issued by the Authority. Exporters should therefore be considered non-cooperative as per Rule 6(8) and the Authority should proceed according to the best information available.

b. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and stated that the Chinese producers should be directed to show that consistent with the provisions of Article 15(a) (i), market economy conditions prevail in the industry producing the like product, with regard to the manufacture, production and sale of that product under consideration, so that Chinese prices or costs can be used for the industry under investigation. Additionally, the Applicant has provided evidence which is relevant in establishing that market economy conditions prevail in the industry producing the like article with regard to manufacture, production and sale of product under consideration. i

c. The Applicant has claimed that should the above-stated stand be inapplicable, in accordance with provisions of Para 1-6 of the Rules, Chinese domestic costs and prices nevertheless cannot be accepted unless the Chinese exporters pass the tests of market economy. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

d. In view of the above the Applicant has determined Normal Value in China on the basis of cost of production in India, based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses.

e. . The Applicant has claimed that France should be considered as a surrogate country and has determined normal value on the basis of export price from France to other countries forming part of European Union, after due adjustments.

f. The Applicant has claimed normal value in Hong Kong based on consumption price in Hong Kong, determined considering import price of product into Hong Kong, after due adjustments.

g. The export price is adjusted on account of ocean freight, inland freight expenses, port expenses, bank charges and marine insurance and VAT difference in case of China to arrive at net export price.

h. The dumping margin calculated is not only significant, but also substantial.

E.3 Submissions by other interested parties

21. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin.

E.4 Examination by the Authority

Market economy status for Chinese Producers

22. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs

for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

23. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. As none of the producers from China PR has not participated, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.

E.5 Determination of Normal Value for all Producers in China PR

24. Para 7 of Annexure I of the Rules provides as under

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

25. In the absence of sufficient information on record, regarding the other methods as enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, it is proposed to determine the normal value by considering the method on "any other reasonable basis". The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The Constructed Normal Value so determined for POI by the Authority is mentioned in the dumping margin table below.

E.6 Normal Value in Hong Kong

26. Since none of the producers and exporters in Hong Kong have responded to the questionnaire in the form and manner prescribed, nor have submitted any evidence with regard to the Normal Value of the subject good in the subject country, the Authority is constrained to determine the normal value in this country on the basis of the facts available. Accordingly the Authority has constructed the normal value in Hong Kong on the basis of the estimates of cost of production based on best information available. The normal value so determined for Hong Kong is mentioned in the dumping margin table below.

E.7 Determination of Export Price

27. As none of the producers/exporters in the subject countries have cooperated, the Authority has adopted the DGCIS import data for determining the CIF price. The export price has been determined based on weighted average import price into India.

28. Price adjustments have been made on the basis of claims made by the Applicant in view of non-cooperation from exporters from China PR and Hong Kong. The export price has been determined at ex-factory level, after considering adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, inland freight expenses, port expenses and VAT difference in case of China.

E.8 Determination of dumping margin for producers and exporters in the subject countries

29. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject countries are determined as below. It is seen that the dumping margin is more than deminimis and significant. Thus, dumping of the product has continued in the present period.

Particulars	Unit	China	Hong Kong
Basis of Normal Value		Constructed	Constructed
Normal Value	(USD/Mtr)	***	***
Export Price	(USD/Mtr)	***	***
Dumping Margin	(USD/Mtr)	***	***
Dumping Margin	%	***	***
Dumping Margin	Range	80-100	20-40

F. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

30. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles*….". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

31. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.

32. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s Grasim Industries Limited (Jaya Shree Textiles) and supported by many supporters as stated in relevant para earlier. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicant has been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the Applicant has been examined.

F.1 Submissions by the domestic industry

33. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced herein below:

i. Dumping margin determined in all previous investigations relating to the product have been positive.

ii. Significant imports in presence of anti-dumping duty showing likelihood of increased imports in the event of cessation of duty.

iii. Imports from subject countries are causing severe price undercutting which shows that in the event of cessation of duties the price undercutting would deepen further.

iv. Excess production capacities held by foreign producers in subject countries are significant. Cessation of present duty will resume dumping from subject countries ultimately causing injury to the domestic industry.

v. There exist huge capacities for the product under consideration in China far beyond the demand in China.

vi. Majority of the producers in the subject countries export the product under consideration rather than selling it in their respective domestic markets. This clearly establishes the export orientation of the manufacturers in the subject countries.

vii. Since the exporters hold significant surplus capacities, the exporter would find the Indian market attractive. Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement with the price being the foremost consideration. In the event of cessation of current ADD, the domestic industry will have to reduce the selling price otherwise the availability of low-priced imports from the subject countries will cause an adverse impact on domestic industry.

viii. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. The exporters from China are not only dumping in India, but they are also dumping in other counties. The relevance of third country dumping is that it brings out the pricing behaviour of the exporters. It demonstrates that the exporters in the subject country adopt unfair pricing to sell the subject goods in different countries, which destroys fair competition in the market.

ix. In case of likelihood even if one or two parameters are satisfied the duty may be continued.

F.2 Submissions by other interested parties

34. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to injury and causal link.

F.3 Examination by the Authority

35. Rules read with Annexure II of the Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

36. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles .... ". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise e to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree

37. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of the Rules states as under-

> *"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping,· actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*

38. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has taken note of the various submissions made by domestic industry and has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules.

39. It is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury or not. The Authority has examined the injury parameters taking into account the facts and submissions made by the domestic industry as under:

G. Assessment of Demand

40. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same have been summarized below.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Sales of Domestic industry	000 Mtr.	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*89*	*92*	*90*	*90*
Sales of Supporters + Other Indian producers	000 Mtr.	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*87*	*82*	*111*	*111*
Imports - Subject Countries	000 Mtr.	5,224	4,555	4,855	7,021	5,617
Trend	*Index*	*100*	*87*	*93*	*108*	*108*
China (Subject Country)	000 Mtr.	5,088	4,466	4,781	6,421	5,137
Trend	*Index*	*100*	*88*	*94*	*101*	*101*
Hongkong (Subject Country)	000 Mtr.	136	88	74	600	480

Trend	*Index*	*100*	*65*	*55*	*353*	*353*
Imports - Other Countries	000 Mtr.	177	223	259	421	337
Trend	*Index*	*100*	*126*	*146*	*190*	*190*
Total Demand	000 Mtr.	30,020	26,245	26,116	39,660	31,728
Trend	*Index*	*100*	*87*	*87*	*106*	*106*

41. It is noted that the demand for the product under consideration has declined from 2015-16 in 2016-17 and 2017-18 but restored the same level as 2015-16 in POI.

H. VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS

a. Import volume and market share

42. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In the present case, however, ADD has been in force. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analyzed as under—

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Imports Volume						
Imports - Subject Countries	000 Mtr.	5,224	4,555	4,855	7,021	5,617
Trend	*Index*	*100*	*87*	*93*	*108*	*108*
China (Subject Country)	000 Mtr.	5,088	4,466	4,781	6,421	5,137
Trend	*Index*	*100*	*88*	*94*	*101*	*101*
Hongkong (Subject Country)	000 Mtr.	136	88	74	600	480
Trend	*Index*	*100*	*65*	*55*	*353*	*353*
Other Countries	000 Mtr.	177	223	259	421	337
Trend	*Index*	*100*	*126*	*146*	*190*	*190*
Total Imports	000 Mtr.	5,401	4,778	5,115	7,442	5,953
Trend	*Index*	*100*	*88*	*95*	*110*	*110*
Imports from subject countries in relation to						
Total Imports	%	96.73	95.33	94.93	94.35	94.35
Trend	*Index*	*100*	*99*	*98*	*98*	*98*
Total Indian Production	000Mtr	25,972	22,972	21,552	33,645	26,916
Indian Production	%	20.12	19.83	22.53	20.87	20.87
Trend	*Index*	*100*	*99*	*112*	*104*	*104*
Total Indian Demand	000Mtr	30,020	26,245	26,116	39,660	31,728
Indian Consumption	%	17.40	17.35	18.59	17.70	17.70
Trend	*Index*	*100*	*100*	*107*	*102*	*102*

43. It is seen that:

i. Imports from the subject countries declined in 2016-17 but increased thereafter in 2017-18 and further in the POI. The Applicants have submitted that imports have significantly increased during post period of investigation period.

ii. Share of imports from subject countries in total imports in India is significant in the period of investigation. The imports from subject countries constitute 94% of the total imports of subject goods in India.

iii. Imports from subject countries in relation to Indian production and demand have increased over the injury period.

I. Price effects of dumped imports

44. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization and non-injurious price of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

a. Price Undercutting

45. In order to determine whether the imports are undercutting the prices, the Authority has undertaken comparison between the landed price of the product and the average selling price of the domestic industry. The landed price of imports, domestic prices and margin of undercutting are shown as per the table below:

China PR

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Net Sales Realisation	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Landed Price	₹/Mtr	280.96	267.94	236.73	277.81	277.81
Price undercutting	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	40-60	40-60	60-80	40-60	40-60

Hong Kong

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Net Sales Realisation	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Landed Price	₹/Mtr	314.80	318.19	290.99	364.10	364.10
Price undercutting	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	20-40	20-40	40-60	20-40	20-40

Average

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Net Sales Realisation	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Landed Price	₹/Mtr	281.84	268.92	237.56	285.18	285.18
Price undercutting	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	40-60	40-60	60-80	40-60	40-60

46. It is seen that landed price of imports from each of the subject countries is below the net sales realization of the domestic industry, showing positive price undercutting.

b. Price Suppression or depression

47. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and costs & prices of the domestic industry over the injury period, when ADD was in force.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Cost of sales	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	*119*	*124*	*122*	*122*
Selling price	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Trend	Index	*100*	*100*	*102*	*107*	*107*
Landed price	₹/Mtr	281.84	268.92	237.56	285.18	285.18
Trend	Index	*100*	*95*	*84*	*101*	*101*

48. It is seen that the cost of production & selling price of the domestic industry and landed price of imports increased over the injury period. It is also noted that the landed price of the imports was below the cost of production throughout the injury period. Resultantly, the domestic industry is unable to increase its selling price in proportion to increase in the cost. It is thus noted that subject imports are suppressing the prices of the domestic industry in the market.

c. Price Underselling

49. The price underselling has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed price of the subject imports.

Particulars	**UOM**	**China**	**Hong Kong**
Non-Injurious Price	US$/Mtr	***	***
Landed Price	US$/Mtr	3.93	5.15
Injury Margin	US$/Mtr	***	***
Injury Margin	%	***	***
Injury Margin	Range	60-80	20-40

50. From a comparison of the landed price with the non-injurious price, it is noted that the price underselling is not only positive but also significant.

J. IMPACT ON ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

51. Annexure – II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

52. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows—

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Capacity	000 Mtr.	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
Production	000 Mtr.	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*92*	*84*	*90*	*90*
Capacity Utilization	% (Range)	80-100	80-100	60-80	80-100	80-100
Trend	*Index*	*100*	*92*	*84*	*90*	*90*
Domestic sales	000 Mtr.	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*89*	*92*	*90*	*90*

53. It is seen that -

a. The capacity installed by the domestic industry has remained the same throughout the injury period, including in the period of investigation.

b. The production and capacity utilization declined in 2016-17 and further in 2017-18 but increased during period of investigation. However, the production and capacity utilization during the period of investigation has declined when compared to the base year.

c. The domestic sales of the domestic industry has declined as compared to previous year as well as base year.

b. Market share in demand

54. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below –

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Domestic industry	% (Range)	20-30	20-30	20-30	20-30	20-30
Trend	*Index*	*100*	*101*	*106*	*86*	*86*
Other Indian Producers	% (Range)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60

Trend	*Index*	*100*	*99*	*95*	*105*	*105*
Subject Countries	%	17.40	17.35	18.59	17.70	17.70
Trend	*Index*	*100*	*100*	*107*	*102*	*102*
Other countries	%	0.59	0.85	0.99	1.06	1.06
Trend	*Index*	*100*	*144*	*168*	*180*	*180*

55. It is noted that the market share of domestic industry increased till 2017-18 but slightly declined during the period of investigation. The market share of the subject countries has increased throughout the injury period

c. Inventories

56. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table–

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Average Stock	000 Mtr.	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	100	136	141	133	133

57. It is seen that through inventory has declined slightly in POI as compared to previous year i.e. 2017-18 but there has been increase in the level of inventory over the injury period when compared with the base year.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment

58. Profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry are as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Cost of sales	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*119*	*124*	*122*	*122*
Selling price	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*100*	*102*	*107*	*107*
Profit per unit	₹/Mtr	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*(30)*	*(58)*	*(4)*	*(4)*
Total Profit/(Loss)	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*(26)*	*(54)*	*(4)*	*(4)*
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*1*	*(20)*	*18*	*18*
Profit before Interest	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*1*	*(28)*	*15*	*15*
Return on Capital Employed	% (Range)	20-40	0-20	(0-20)	0-20	0-20
Trend	*Index*	*100*	*1*	*(21)*	*10*	*10*

a. The profit per unit was positive in 2015-16 and thereafter they have suffered during injury period including POI throughout the injury period and became negative. The domestic industry is suffering losses despite anti-dumping duty in existence.

b. Cash flow, PBIT and return on investment followed the same trend as that of profits. The domestic industry is faced with negative return on investments during period of investigation.

c. The domestic industry contended that the deterioration in performance of the domestic industry was continuous throughout the investigation period. The Authority noting the trends in profits, cash profits and return on investments. Proposes to hold that domestic industry is suffering from financial losses with negative return on investments and negative PBIT.

e. Employment, wages and productivity

59. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was as below –

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*156*	*148*	*149*	*149*
No of Employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*98*	*98*	*100*	*100*
Productivity per employee	Mtr/No.	***	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*94*	*86*	*90*	*90*

60. It is noted that performance of the domestic industry has improved in respect of employment, wages, and productivity in the POI. The domestic industry has, however, submitted that these parameters are not relevant to show the impact of dumping on the domestic industry.

f. Growth year to year basis

61.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI Annualised
Production MT	%	-	(7.97)	(8.27)	6.04
Domestic Sales MT	%	-	(11.35)	3.91	(1.84)
Capacity Utilisation	%	-	(7.13)	(6.82)	4.56
Average Inventory MT	%	-	35.59	4.19	(5.68)
Profit/Loss ₹ Lacs	%	-	(126.38)	102.92	(92.75)
Cash Profit ₹ Lacs	%	-	(98.99)	(2,093.10)	(188.01)
PBIT ₹ Lacs	%	-	(99.14)	(3,314.40)	(153.75)
Return on Capital Employed	%	-	(33.25)	(7.33)	10.51

62. It is noted that the domestic industry's performance is negative in terms of profits, cash profits, PBIT and return on investments.

Margin of dumping

63. It is found that the margin of dumping is positive from the subject countries. The Authority proposes to hold that there is continued dumping of subject goods from the subject countries.

g. Factors affecting prices

64. The import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. It is noted that the landed value of the subject goods from subject countries are not only below its net selling price but also the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting

as well as price underselling in the Indian market. Further the landed prices of subject imports have suppressing the prices of the domestic industry leading to significant decline in profitability and financial losses during period of investigation. Thus, Authority proposes to hold that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

h. Ability to raise capital investments

65. The domestic industry is suffering financial losses in the period of investigation. With the competition being faced by the domestic industry because of the dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment. The domestic industry is a multi-product company and therefore ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the product alone.

K. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

66. The non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports from subject countries was below the non-injurious price of the Domestic Industry.

L. Overall assessment of injury

67. The examination of the imports of the subject product and performance of domestic industry clearly shows that-

i. The volume of imports from subject countries has increased in absolute terms and in relation to total imports, Indian production and consumption.

ii. The imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling is also positive.

iii. The imports from subject countries have suppressed the prices of the domestic industry.

iv. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry has declined as compared to the base year.

v. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The domestic industry has suffered financial losses during the period of investigation.

vi. The imports from the subject countries has continued to enter the Indian market at dumped prices.

In view of the foregoing, the Authority holds that the domestic industry has suffered continued material injury.

M. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

68. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

M.1 Submissions by the domestic industry

69. The domestic industry submitted as follows with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury –

i. Dumping margin determined in all previous investigations relating to the product have been positive.

ii. Significant imports in presence of anti-dumping duty showing likelihood of increased imports in the event of cessation of duty.

iii. Imports from subject countries are causing severe price undercutting which shows that in the event of cessation of duties the price undercutting would deepen further.

iv. Excess production capacities held by foreign producers in subject countries are significant. Cessation of present duty will resume dumping from subject countries ultimately causing injury to the domestic industry.

v. There exist huge capacities for the product under consideration in China far beyond the demand in China.

vi. Majority of the producers in the subject countries export the product under consideration rather than selling it in their respective domestic markets. This clearly establishes the export orientation of the manufacturers in the subject countries.

vii. Since the exporters hold significant surplus capacities, the exporter would find the Indian market attractive. Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement with the price being the foremost consideration. In the event of cessation of current ADD, the domestic industry will have to reduce the selling price otherwise the availability of low-priced imports from the subject countries will cause an adverse impact on domestic industry.

viii. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market.

ix. The exporters from China are not only dumping in India, but they are also dumping in other counties. The relevance of third country dumping is that it brings out the pricing behavior of the exporters. It demonstrates that the exporters in the subject country adopt unfair pricing to sell the subject goods in different countries, which destroys fair competition in the market.

x. In case of likelihood even if one or two parameters are satisfied the duty may be continued.

M.2 Submissions by other interested parties

70. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of injury.

M.3 Examination by the Authority

71. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Anti-Dumping Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The Authority notes as under;

a. Continued & existing dumping and injury

72. The Authority notes that, as there are continued dumped imports, the Authority is required to examine whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continuation of dumping of the product under consideration. Exporters and producers from the subject countries are exporting the subject goods at dumped prices. In the previous investigations also the dumping margin was significant. It is also seen that these imports are undercutting the domestic industry prices and are at a price below NIP of the domestic industry. Therefore, Authority holds that dumping is likely to continue in case of cessation of duty.

b. Price undercutting in absence of measures

73. It is noted that price undercutting is positive during the POI, and thus cessation of ADD currently in place is likely to lead to increased dumping causing injury in the form of reduced selling price and decline in profits of the domestic industry.

74. Domestic Industry has submitted that the price which the subject goods are being exported by China PR and Hong Kong to India is also an indicator of the likelihood of the price at which the goods are likely to be exported from subject countries in the event of cessation of anti-dumping duty. Thus, Authority holds that with the cessation of anti-dumping duties, there is strong likelihood of increased imports by the Indian consumers.

c. Surplus capacities

75. On the basis of information on record, the Authority notes that the producers in China have significant freely disposable capacity, which can be diverted to India in the event of cessation of anti-dumping duty. Information provided by domestic industry shows capacities with various exporters as follow:

Particulars	Capacity (MT)
Chanqshu Lifenq Linen & Cotton Weavinq Co	2000,000 meters/year
Hainінq Yutex Co., Ltd,	500000 Meter/month
Wuiianq Tanqchao Textile Co., Ltd.	10,00,000 meters/ vear
Oinqdao Yuzhou Knit And Textile Co., Ltd.	40,000 meters/ year
Wuiianq Maishunda Silk Textile Co., Ltd	2000,000 meters/year
Hunan Huashenq Industrial & Tradinq Co.	12,000 Tons/ year

Since no interested party has rebutted the aforesaid. The exporters are also likely to be encouraged to channelize their output in the Indian market as they have surplus capacities and are selling their products at comparatively lower prices.

76. The Chinese producers have since preferred non-cooperation, the Authority notes that the available information shows significant capacities with the Chinese producers. It is likely that cessation of anti-dumping duty would lead to intensified imports at dumped and injurious price causing recurrence of injury to the domestic industry.

As regards other parameters which may impact DI's performance, the Authority further notes and proposes to hold as under;

a. The demand of the product under consideration has declined slightly during the period of investigation.

b. The domestic industry has exported the product under consideration. However, export performance is not relevant here since the Authority proposed to consider only the domestic performance of the domestic industry for injury analysis.

c. The technology as also the production process for producing product under consideration has not undergone any significant development. Therefore possible development in technology does not appear to be a cause of injury to the domestic industry.

d. Performance of other products being produced and sold by the Applicant is not a possible cause of injury to the domestic industry. In any event, the Applicant consider that information relating to the product under consideration is the only relevant information for the present purpose and the Applicant has provided this information as the domestic industry.

e. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

f. There have been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration. Changes in the pattern of consumption have not caused claimed injury to the domestic industry. In fact, demand for the subject goods has increased over the relevant period.

N. POST DISCLOSURE COMMENTS

77. **No interested party other than domestic industry has given comments. Comments by domestic industry are as below:**

1. Flax fabric is produced in different combinations (30% to 100% flax content) and the production is dispersed and in unorganized MSME sector. Small weavers producing different fabric like cotton fabric can also produce low volume of flax fabric.

2. Neither there is any publicly available information with regard to production of Flax Fabric nor is it possible to cumulate production of individual companies in the present case, through an agency or otherwise.

3. In similar cases where production is widespread and is in MSME sector, the Authority has determined gross Indian production on the basis of raw material consumption in a number of investigations in the past.

4. In a product like present, the production can be scientifically quantified on the basis of raw material consumption. The practice was followed in the previous two investigations as well.
5. Indian production has been rightly determined by the Authority in the disclosure statement.
6. Petitioners have provided information regarding companies majorly producing Flax Fabric having Flax content less than 50% and supporting extension of ADD.
7. In past, the Authority has also considered companies constituting less than 35% in the total Indian production as domestic industry.
8. The CESTAT in *Lubrizol (India) Pvt. Ltd* vs *Designated Authority* held that the share of the petitioner in the total domestic production, being more than 31%, was undoubtedly a significant or important share i.e. a major proportion.
9. For Flax Fabrics, VAT rate in China is 17% and the refund provided by the Government of China on VAT paid on exported products is 13%. Therefore, an adjustment to an unrefunded VAT of 4% is done in the export price.
10. As noted in the Disclosure statement, dumping has continued in present period. In fact, the dumping margin has increased for each of the subject countries as compared to the previous findings.
11. DI was able to improve its performance till the year 2015-16 due to imposition of ADD. However, the injury to the DI re-occurred at an increased level thereafter due to intensified dumping of the PUC. The same has been noted in the Disclosure Statement.
12. As noted in the Disclosure statement, it is established the likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.
13. The DI requests increase in quantum of duty owing to the intensified dumping, injury and the likelihood of dumping and consequent injury in the current investigation.
14. The DI requests imposition of ADD in increased quantum and in form of fixed quantum of anti-dumping duty due to multiple practical and procedural aspects.
15. As per the practice of Authority, the duty should be imposed in terms of USD ($). Rupee has depreciated significantly and therefore, the definitive duties may kindly be expressed in US$. The depreciation of INR has impacted the costs of the raw materials, utilities and other costs.

O. Examination by the Authority

78. The Authority notes that no producer/exporter or importer has participated. Domestic Industry has requested to increase the quantum of AD Duty due to increase in dumping in the current SSR. The Authority holds that both dumping margin and injury margin have been evaluated for the POI adopted in the investigation. The Authority therefore keeping in view the Lesser Duty Rule (LDR) principle recommends the quantum of duty based on the margins evaluated for the POI period. The Authority notes the request of domestic industry on the form of AD duty and recommends fixed duty in dollar terms as was done in the earlier finding.

P. Conclusion

79. Having regard to the submissions made in the investigation, the post disclosure comments and facts available, the Authority concludes that:

a. Subject goods exported from the subject countries are at prices below their normal value, thus resulting in dumping.

b. Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market.

c. Dumping margin and injury margin are positive in respect of imports of the product under consideration from the subject countries.

d. In event of cessation of anti-dumping duty undercutting may continue as the producers/exporters in the subject countries are holding significant capacities and the imports which are dumped and injurious despite existence of AD measure, are likely to increase in the event of cessation of anti-dumping duty. Performance of the domestic industry is therefore likely to deteriorate in the event of cessation of anti-dumping duty.

e. The Authority, thus, in order to remove likely injury to the Domestic Industry considers it necessary to recommend continuation of definitive ADD on imports of the Subject Goods from the Subject Countries.

Q. Recommendations

80. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be extended as specified in the duty table below.

81. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in the column no. 8 of table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Duty Table

S.No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	Flax or Linen fabric (note below)	China PR	Any	Any	Any	2.36	Per meter	US$
2	5309	Flax or Linen fabric (note below)	Any other than Hong Kong Hong and country attracting AD duty	China PR	Any	Any	2.36	Per meter	US$
3	5309	Flax or Linen fabric (note below)	Hong Kong	Any	Any	Any	1.14	Per meter	US$
4	5309	Flax or Linen fabric (note below)	Any other than China and country attracting AD duty	Hong Kong	Any	Any	1.14	Per meter	US$

Note: Product Under Consideration (PUC) is "Flax or Linen Fabric having flax content of more than 50%"

82. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Special Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.